

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र.स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	कैलाश चन्द्र शर्मा	01.07.1959	11.03.1985	11.03.2012	
2.	महेश चन्द्र शर्मा	01.08.1960	11.03.1985	11.03.2012	
3.	किशन लाल शर्मा	07.08.1953	11.03.1985	11.03.2012	
4.	खेमचन्द अग्रवाल	27.02.1957	11.03.1985	11.03.2012	
5.	मोहन लाल खण्डेलवाल	23.07.1959	11.03.1985	11.03.2012	
6.	मोहन लाल जाट	05.01.1961	11.03.1985	11.03.2012	
7.	मुरलीधर काष्ट	02.12.1959	11.03.1985	11.03.2012	
8.	महेश चन्द्र माथुर	28.06.1958	11.03.1985	11.03.2012	
9.	नवल बिहारी खण्डेलवाल	02.06.1959	11.03.1985	11.03.2012	
10.	ओमप्रकाश बिस्सा	03.03.1952	11.03.1985	11.03.2012	
11.	ओमप्रकाश गुप्ता	05.02.1956	11.03.1985	11.03.2012	
12.	प्रदीप कुमार	01.07.1958	11.03.1985	11.03.2012	
13.	प्रहलाद कुमार गुप्ता	07.08.1957	11.03.1985	11.03.2012	
14.	प्रभुदयाल जागिड	01.01.1959	11.03.1985	11.03.2012	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 4 से 14 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है एवं उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थिरीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-III/अलेसे-11/5942-69
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....लेखाकार, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

निदेशक

दिनांक:- 29.03.2012

संयुक्त निदेशक (कार्मिक- I)